

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
अधिसूचना

संख्या-3/स्था0 रा0 भू0 वि0-2031/08-

(3)/रा0, पटना-15, दिनांक- / /2016

सामान्य प्रशासन विभागीय अधिसूचना सं0-7930, दिनांक-02.06.2016 द्वारा श्री सुधीर कुमार (1251/11, भोजपुर), वरीय उप समाहर्ता, खगड़िया को जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया (अपने वेतनमान में) के पद पर अधिसूचित किया गया है।

श्री सुधीर कुमार(1251/11, भोजपुर), जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया को भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकारी अधिनियम, 2013 (The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act. 2013) की धारा-3 (जी) के अन्तर्गत बिहार राज्यपाल के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया के रूप में भू-अर्जन कार्यों के सम्पादन हेतु अधिनियम की धारा-11, 13, 15, 16(6), 17, 19 एवं 81 को छोड़कर समाहर्ता की शक्ति प्रदत्त की जाती है।

2. पूर्व की प्रक्रियान्तर्गत भू-अर्जन कार्यों के सम्पादन हेतु उपरोक्त जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को भू-अर्जन अधिनियम, 1894 यथा संशोधित 1984 की धारा-4, 5 (ए) 6 एवं 35 को छोड़कर समाहर्ता की शक्ति प्रदत्त की जाती है।

3. एतद् सम्बन्धी पूर्व की निर्गत सभी अधिसूचनाएँ इस हद तक संशोधित समझी जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-
(वीरेन्द्र कुमार मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

संख्या-3/स्था0 रा0 भू0 वि0-2031/08-

272

(3)/रा0, पटना-15, दिनांक-

8-7-16

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रमण्डयीय आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर/निदेशक, भू-अर्जन निदेशालय, पटना/समाहर्ता, खगड़िया/सम्बन्धित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव